न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 55/2020

अनवान दिलीप बनाम जेडीए जोधपुर वगैराह

प्रार्थना पत्र अंर्तगत आदेश 39 नियम 2 क , सीपीसी

:::-निर्णय-:::

दिनांक :- 02/09/2020

यह है राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अवमानना आदेश 39 नियम 2 (क) एंव सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र के संबध में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपना एक प्रार्थना पत्र ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 789,793,795,424,427,505,79,84,88 कुल खसरे नौ कुल रकबा 96 बीघा 06 बिस्वा भुमि के पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 123/2000 निर्णय दिनांक 17.09.01 में 1/2 हिस्से पर काश्त करने से नही रोके तथा इनको रुकावट पैदा नही करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को पाबंद किया जाता है तथा साथ ही बेचान हस्तान्तरण न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी से करावें। परन्तु इन खसरान में राजस्व रेकर्ड भी परिवर्तन हो गया एवं आगे से आगे बेचान होकर भु-उपयोग परिवर्तन हो चुका है तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण से भु-उपयोग परिवर्तन के पश्चात पटटे भी जारी हो चुके है। इसलिए यह न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

यह है कि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को तलब किया तथा मूल दावे की भी पत्रावली के साथ संलग्न कर उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में एक वाद एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जिस पर स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय हाजा ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया था । जिसके विरुद्व अप्रार्थीगण दवारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहा अपील प्रस्तुत की। जिसमे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपील को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गयी जिसमे निगरानी दिनाक 02.01.18 को खारिज कर दी। इसलिए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दवारा निर्णय दिनांक 17.09.2001 जो पारित किया है वह आज दिनांक तक प्रभावी है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे बताया कि अप्रार्थीगण दवारा मिलीभगत कर भूमि का आगे से आगे बेचान कर दिया एंव जोधपुर विकास प्राधिकरण दवारा इस भूमि का उपयोग परिवर्तन कर दिया गया एवं अप्रार्थीगणो के पक्ष में पटटे जारी कर दिये गये अप्रार्थीगण दवारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 17.09.2001 की अवमानना की गई है।

अधिवक्ता प्रार्थी संख्या जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी बहस करते हुए प्रार्थी द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवादित भूमि का उपयोग परिवर्तन समस्त विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया है इसमें किसी प्रकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

की कोई भी विधिक त्रुटि नहीं है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने भू उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व तहसीलदार लूणी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाकर तत्पश्चात दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जा कर अप्रार्थीगणों से विधिक शुल्क जमा करवाकर किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने माननीय न्यायालय की किसी प्रकार से कोई अवमानना नहीं की है ना ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी होते वक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण स्थाई निषेधाज्ञा एवं दावे में किसी प्रकार का पक्षकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मनगढ़ तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है रेस्पोंडेंट संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं साथ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा की गई बहस को विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट संख्या तीन पर अवमानना प्रार्थना पत्र लागू नहीं होता है। क्योंकि रेस्पोंडेंट संख्या तीन स्थाई निषेधाज्ञा एवं दावे में पक्षकार ही नहीं था तथा नहीं जिससे रेस्पोंडेंट संख्या 3 भूमि क्रय की वह पक्षकार थे। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई पक्षकार ही नहीं है तो उस पर अवमानना की कार्रवाई नहीं हो सकती है। प्रार्थी यह साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि किस प्रकार न्यायालय के आदेश की अवमानना हुई हैं। जब राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई स्थगन अंकित का नोट नहीं है तो राजस्व एजेंसी को उस राजस्व रिकॉर्ड में कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी या नामान्तरणकरण में किसी प्रकार का न्यायालय के स्थगन संबंधित नोट नहीं था। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही अप्रार्थी ने संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर उक्त भूमि खसरा नंबर 84 को कय किया जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पाक एवं साफ थी। क्रय करने के पश्चात पंजीयन करवा कर नियमानुसार सभी कार्रवाई पूर्ण साथ थी। भू0उपयोग परिवर्तन का प्रार्थना पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया। जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने पुनः राजस्व एजेंसी से पूरी तथ्यात्कम की रिपोर्ट उक्त भूमि की मांगी एवं जांच की। जिसमें भी भूमि पर किसी प्रकार के स्थगन या न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी। अगर उस वक्त ऐसा आदेश होता तो अवश्य ही राजस्व रिकॉर्ड में नोट दर्ज होता तो जेडीए द्वारा चाहे गई रिपोर्ट में आता। परंतु ऐसा कुछ नहीं आया तथा तत्पश्चात जेडीए द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 06.09.2018 को पृष्ठ संख्या तीन पर एक लोक सूचना प्रकाशित करवाई जिसमें खसरा संख्या, ग्राम का नाम, तहसील का नाम , आवेदक का नाम, एंव प्रयोजन तथा सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने अभिवृति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर भीतर कार्यालय समय के दौरान अपने दस्तावेज के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है। फिर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई आपेक्ष या विरोध नहीं दर्ज करवाया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत कर तथ्यों को छुपाकर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अवमानना प्रार्थना पत्र जब बनता है तब अगर मूल दावा का भी निर्णय प्रार्थी के पक्ष में आता है तब तो अवमानना मानी जा सकती है। अवमानना सब्जेक्ट निर्णय पर आधारित होता है। इस प्रकरण के मूल दावा अभी विचाराधीन है इसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए अवमानना बनने का प्रश्न ही

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

पैदा नहीं होता है। इसलिए अवमानना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं उपलब्ध रिकॉर्ड तथा समस्त राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रेकर्ड का मूल वाद के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि प्रार्थना पत्र में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 7 तक मूल वाद में पक्षकार नहीं है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 17.09.2001 के आदेश में पक्षकार है अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 तक तृतीय पक्षकार हुए हैं विधि एवं न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि तृतीय पक्षकार न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा मे पक्षकार नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रारंभिक स्तर पर ही त्रुटि प्रतीत होती है एवं इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया जा सका।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार बिना मूल दावे में पक्षकार व अप्रार्थीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 इस कार्यवाही से अनभिज्ञ एवं अनजान है, जिन पर यह अवमानना प्रार्थना पत्र लागू नहीं हो सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner